151

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 772–एक/2016 – विरूद्ध – आदेश दिनांक – 17–9–2015 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड – प्रकरण कमांक 20/2012–13 अ–6

सुरेन्द्र सिंह पुत्र लालन सिंह कुशवाह
हाउसिंग कालोनी, भिण्ड तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती बोस्की पुत्री बीरेन्द्र सिंह कुशवाह
पत्नि अजय सिंह भदौरिया निवासी
हाउसिंग कालोनी भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड --अनावेदकगण

(आवदेक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेद के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8 –2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 20/2012–13 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 17–9–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा दीनपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 598 रकबा 0.85, सर्वे कमांक 599 रकबा 0.66 हैक्टर , सर्वे कमांक 600 रकबा 0.30 हैक्टर, सर्वे कमांक 982 रकबा 0.12 हैक्टर, सर्वे कमांक 983 रकबा 0.57 हैक्टर, सर्वे कमांक 984 रकबा 1.06 हैक्टर कुल क़िता 6 कुल रकबा

3.56 हैक्टर में हिस्सा 1/4 की मृतक बीना देवी पत्नि बीरेन्द्र सिंह कुशवाह भूमिस्वामिनी थी जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक (मृतका के देवर) ने नायव तहसीलदार वृत्त फूफ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से प्रकरण कमांक 20/ 2012-13 अ-6 पंजीबद्ध हुआ। मृतक खातेदार बीना देवी के एक पुत्री अनावेदक है जिसके पास पारिवारिक व्यवस्था स्वरूप कृषि भूमि के बजाय भिण्ड स्थित रहवासी मकान पूर्व से होने के कारण अपनी मॉ के हिस्सा 1/4 मृतक बीना देवी का हिस्सा पारिवारिक व्यवस्था में आवेदक को समर्पित होने के कारण सहमति पत्र नामान्तरण प्रकरण में प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-6-2014 पारित किया तथा मृतक बीना देवी के हिस्सा 1/4 पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया।

महालेखाकार के आडिट दल ने उक्त पर आपत्ति प्रस्तुत कर पारिवारिक व्यवस्था अनुसार किये गये नामान्तरण से शासन को आर्थिक हानि होने की आपत्ति उठाई, जिस पर से नायव तहसीलदार ने प्रकरण पुनरावलोकन में लिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत अनुमति मॉगी । अनुविभगीय अधिकारी भिण्ड ने धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इसी धारा के अधीन आदेश दिनांक 17-9-2015 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण दो वाद विन्दुओं पर विचार किया जाना है -

1. क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत पूर्व पारित आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है।
2. क्या पारिवारिक व्यवस्था अनुसार पूर्व में हुये घरेलू बटवारे के अनुसार नायव तहसीलदार फूफ ने प्रकरण कमांक 20/12-13 अ-6 में पारित आदेश दिनॉक 30-5-2014 पारित करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है जिसके कारण संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आदेश दिनॉक 30-5-14 का पुनरावलोकन अनिवार्य था ?

बाद बिन्दु कमांक-1 :- मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में पूर्व में पारित आदेश में यदि ऐसी भ्रॉतिपूर्ण गलती (**mistake**) या भूल (**error**) है जो रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती है अथवा किसी नई महत्वपूर्ण विषयवस्तु या साक्ष्य की खोज हो गई है जो उचित परिश्रम करने के वाद आदेश पारित करने के पूर्व जानकारी में नहीं थी , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकित की जा सकती है। पुनरावलोकन के लिये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के प्रावधानों में व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण धारा 32 के अंतर्गत नायव तहसीलदार व्दारा पुनरावलोकन की अनुमति मांगने में एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा धारा 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने में त्रृटि की है।

बाद बिन्दु कमांक-2 :- प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि महालेखाकार की आडिट आपत्ति अनुसार नायव

तहसीलदार व्दारा किये गये असमान्य बटवारे पर शासन को बटवारा (रजिस्ट्री) न होने से होने वाली स्टाम्प ड्यूटी वावत् है। विचाराधीन प्रकरण में रजिस्टर्ड बटवारे का विवाद न होकर पूर्व में हुये घरेलू का निराकरण सहमति के आधार पर किया गया है।

1. रामसेवक बनाम नरेन्द्र कुमार 1984 राजस्व निर्णय 237 का दृष्टांत है कि बटवारे की याददास्त सूचियॉ - औपचारिक विभाजन नहीं है इसलिये रजिस्टीकृत होना जरूरी नहीं है पूर्व बटवारे अनुसार एंव पक्षकारों की सहमति अनुसार अमल किया जावेगा।
2. दयाराम बनाम हरचंद 1989 राजस्व निर्णय 14 हाई कोर्ट का न्यायियक दृष्टांत है कि पूर्व का आपसी बटवारा- बराबर हिस्सा न होने के आधार पर नामान्जूर नहीं किया जा सकता। आपसी बटवारा सदभाव पर आधारित होता है।

उपरोक्त आधारों पर विचाराधीन प्रकरण की यही स्थिति है कि जब अनावेदक व्दारा भिण्ड स्थित रहवासी कीमती मकान लेकर बदले में कृषि भूमि बटवारे में आवेदक को सहमति के आधार पर दी है, पक्षकारों के बीच पूर्व में हुये बटवारे का अमल मात्र शासकीय अभिलेख में करना होगा। अतएव नायव तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 30-6-2014 से उभय पक्ष के बीच किये गये घरेलू बटवारे (सहमति बटवारे) अनुसार दिये गये आदेश के अमल पर महालेखाकार की टिप्पणी के आधार पर पुनरावलोकन करना अनियमित कार्यवाही की श्रेणी में प्रतीत होता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 20/2012-13 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 17-9-2015 एंव इस आदेश से नियम विरूद्व दी गई पुनरावलोकन अनुमति

उपरांत नायव तहसीलदार व्दारा आवेदक एंव अनावेदक को सूचना दिये बिना पुनरावलोकन अनुमति दिनांक 17-9-15 के तत्का वाद एकपक्षीय पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-9-15 विधि के प्रभाव से अकृत एंव शून्यवत् हैं जिसके कारण ऐसे आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 20/2012-13 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 17-9-2015 एंव नायव तहसीलदार वृत्त फूफ व्दारा प्रकरण कमांक 20/12-13 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 18-9-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर